Government's Policy Regarding Super Bazar

193. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: WH1 the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the Government's present policy regarding super bazar;

(b) whether demand for super Bazars foodgrain items is increasing;

(c) if so, how the Government propose to meet the rising demand;

(d) the details of measures taken to make foodgrain and other consumer items available to the urban working class at affordable rates in super bazar; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) The Super Bazar, Delhi is an autonomous Cooperative Society having its own management, The Management of the Super Bazar, Delhi frames its own policy within the ambit of the Act, Rules and bye laws.

(b) Yes Sir.

(c) Super Bazar has its own purchase arrangements from the market and Government's do not interfere in this regard. Since there is no shortage of food grains, Super Bazar has no problem in meeting their rising demands.

(d) It has been reported by Super Bazar; Delhi that it has plans to open more branches to cater to the needs of the consumers. Due to bulk purchase by the Super Bazar, Delhi, in most of the items, the selling prices of commodities are less than the market rates.

(e) Does not arise.

अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु परियोजनाएं

194. श्री जगन्नाथ सिंहः क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत सरकार द्वारा किन-किन अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई हैं; और

(ख) इस प्रकार की परियोजनाओं पर किन-किन राज्यों मे कितनी-कितनी धनराशि किस-किस कार्य के लिए आवंटित की गई है तथा उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया):

(क) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित तीन योजनाएं शुरू की गई हैं:—

(1) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण;

(2) राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान;

(3) कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर। सामान्यतः ये योजनाएं अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं तथा किसी विशेष जनजाति के लिए नहीं हैं।

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निधियां आवंटित नहीं की जाती है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर रहते हुए निधियां प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रदान करने से संबंधित जानकारी विवरण I, II तथा III में दी गई हैं।